

वन भूमि की मांग की औचित्य पूर्ण विस्तृत आख्या

परियोजना का नाम:- जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज न0 XV के अन्तर्गत गडथ (दिवारीखोल) से गडथ लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.0325 हे0 आरक्षित वन भूमि, 2.065 हे0 सिविल भूमि, 3.0975 हे0 कुल वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम गडथ की 372 की आबादी अभी तक मोटर मार्ग से नहीं जुड़ी है और ग्रामवासियों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिये लगभग 05 कि0मी0 पैदल दूरी तय करनी पड़ती है। प्रस्तावित समरेखण ग्राम गडथ के नाप भूमि, सिविल सोयम भूमि, व वन आरक्षित भूमि से हो कर गुजर रहा है। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की भूमि प्रभावित नहीं हो रही है जो तकनीकी भू-वैज्ञानिकों के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपयुक्त बताया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भूमि में मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है। जैसा कि मानचित्र के अनुसार ग्राम गडथ की नाप भूमि तथा आरक्षित वन भूमि एवं सिविल भूमि से घिरा है। उक्त निर्माण कार्य के दौरान मक डिस्पोजल चयनित वन भूमि एवं चयनित सिविल भूमि में किया जायेगा।

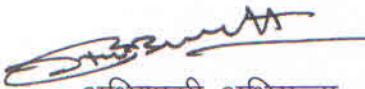
अतः ग्राम गडथ तक मोटर मार्ग निर्माण के लिये आरक्षित व सिविल तथा नाप भूमि की आवश्यकता है इसलिए प्रस्तावित समरेखण में भू-वैज्ञानिक द्वारा परीक्षण कराकर न्यूनतम आरक्षित व सिविल भूमि की मांग की गई है। उक्त भूमि का हस्तान्तरण किया जाना अनिवार्य है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 250 से अधिक आबादी वाले गांव गडथ को जोड़े जाने का प्रविधान है, जो कि गडथ (दिवारीखोल) से गडथ लिंक मोटर मार्ग 4.875 कि0मी0 लम्बाई में प्रस्तावित है।

उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मोटर मार्ग का निर्माण औचित्य पूर्ण है।


सहायक अभियन्ता


तहसीलदार,
विन्यालीसौड़।


अधिशायी अभियन्ता


वन क्षेत्राधिकारी
धरासू रेंज
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी


प्रभागीय वनधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी


SDM(CD)